न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– **12/09/2015**

1 अशोक कुमार पुत्र स्व0 रोशनलाल जाति मीना निवासी ठेकडीन तहसील राजगढ जिला अलवर

– अपीलान्ट

बनाम्

1 ग्राम पंचायत कलेशान, पंचायत समिति राजगढ (अलवर)

2 पूनी देवी पत्नी स्व0 रोशन लाल जाति मीना निवासी ठेकडीन तहसील राजगढ

3 राजेन्द्र मीना पुत्र स्व0 रोशनलाल जाति मीना निवासी ठेकडीन तहसील राजगढ

4 लक्ष्मी उर्फ गुड्डी पुत्र स्व0 रोशनलाल जाति मीना निवासी अनावडा हाल निवासी राजगढ तहसील राजगढ (अलवर)

5 बीना पुत्र स्व0 रोशनलाल पत्नी लालचन्द जाति मीना निवासी अनावडा तहसील राजगढ (अलवर)

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–75 राज0 भू–रा0 अधि0 1956
उपस्थित :1. श्री प्रदीप दीक्षित – अपीलान्ट
2 श्री सीताराम वशिष्ठ – रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 23.02.2021

1. आज यह पत्रावली अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि अपीलान्ट की हाल आराजी खसरा संख्या 4226/0.15 है0 वाके ग्राम राजगढ़ तहसील राजगढ़ में अवस्थित है। उक्त वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार श्री रोशनलाल पुत्र सूरजबक्श जाति मीना मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2051 से 2054 दर्ज है। श्री रोशन लाल पुत्र श्री सूरजबक्श की मृत्यु होने के कारण फौती इंतकाल संख्या 1975 दिनांक 29.01.2007 को मृतक के वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के नाम दर्ज कर दिया गया। फौती श्री रोशन लाल पुत्र श्री सूरजबक्श अनुसूचित जनजाति वर्ग से है। इस कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है। इस कारण मृतक की विरासत में पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। इस कारण इंतकाल संख्या 1975 दिनांक 29.01.

2007 गलत आधार पर तस्दीक किया गया है। अपीलार्थी ने इंतकाल संख्या 1975 दिनांक 29.01.2007 को निरस्त किया जाकर अपीलांट एवं प्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 को 1/5–1/5 हिस्से को खातेदार के स्थान पर 1/3–1/3 निस्फ–निस्फ हिस्से का खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए उक्त वर्णित आराजी से संबंधित रिकार्ड दुरूस्त करने बाबत आदेश देते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। प्रत्यर्थीगण असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय नहीं आये। उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

3. अपील अपीलान्ट पर एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषकगण ने अपील के तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अपील के तथ्यों की पुष्टि हेतु निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है–

(1) 2014 RRT RAJ 901 (2) AIR 2006 RAJ 162

(3) 2012 (2) RRT 765 (4) 2014 RRT RAJ 901

(4) 2012 (1) RRT 431

4. पत्रावली पर शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस का मनन मय विश्लेषण किया गया। प्रस्तुत अपील अपीलान्ट का मुख्य आधार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम– 1956 की अनुप्रयोज्यता है। उक्त अधिनियम 1956 की धारा–2(2) का उद्धरण प्रासंगिक प्रतीत होता है–

> ***2. Application of Act.—***
>
> *(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), nothing contained in this Act shall apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of Article 366 of the Constitution unless the Central Government, by notification in the Official Gazette, otherwise directs.*

5. उक्त उद्धरण के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अनुसार उक्त अधिनियम की अनुप्रयोज्यता अनुसूचित जनजाति वर्ग पर भारत सरकार की अधिसूचना ऐसे उद्देश्य हेतु ऐसी कोई अधिसूचना वर्तमान तक जारी नहीं हुई है। अतः वर्तमान में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति वर्ग पर अनुप्रयोज्य नहीं होते है।

6. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक 2014(2) आर0आर0टी0 901 में भोली बनाम चन्दा का पैरा नम्बर 7 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

> ***7****- A bare perusal of the judgment dated 01-10-2011 clearly reveals that the learned Magistrate has relied upon the case of Gulab V. Board of Revenue & others [RRT 2006 (2) 1085], wherein this Court has held that a married daughter, belonging to Scheduled castes, namely Meena would not be entitled to inherit her parental property. Thus, the learned counsel has failed to show any exception to the principle established by this Court. Hence, no substantial question of law arise in the present appeals.*

7. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक AIR 2006 RAJ 162 में गुलाब बनाम सरकार का पैरा 9 एवं 10 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

> ***9****. The Hon'ble Supreme Court while dealing with this provision in the case of smt. Kasturi Vs. Deputy Director of Consolidation and othersn has held as under (para 3);*
>
> *A Mother cannot be divested of her interest in the properly on the ground of re-marriage'. The application of bar of inheritance to the Hindu widow*

is based on the special and peculiar, scared and sporotual relationship of the wife and the husband. After the marriage the wife becomes an absolute partner and an integral part of her husband and the principle on which she is excluded form inheritance on remarriage is that when she relinquishes her link with her husband even though he is dead and enters a new family, she is not entitled to retain the property inherited by her. The same, however, cannot be said of a mother. The mother is in an absolutely different position and that is why the Hindu Law did not provide that even the mother would be disinherited if she remarried.

10*. Similarly, the window after remarriage is not having and right over the land belonging to the married daughter is also not having any right over the ancestral property of the father. In view of provisions of Section 2 of Hindu Succession Act and ratio decided by Hon'ble Supreme Court, the judgment passed by the Board of Revenue is per se illegal and contrary to the provisions of law. The judgment dated 18-10-1995 passed by the Board of Revenue and order dated 25-04-1995 passed by the Board of Revenue and order dated 25-04-1997 passed on review application are hereby quashed and set aside. The order dated 12-11-1987 passed*

by the Assistant Collector and order dated 25-03-1989 passed by the Revenue Appellate Authority are upheld.

8. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक 2012 (2) RRT 765 में भोरी बनाम जगदीश का निर्णय दिनांक 17.03.2011 का पैरा 6 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

6. *पक्षकारान जाति से मीणा अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर पुराना हिन्दू कानून लागू होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार विधवा द्वारा पुनर्विवाह के बाद पूर्व पति की भूमि में उसका हक प्राप्त नही होता है और विवाहित पुत्री को पिता की पैत्रिक भूमि मे कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। इस विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर ने प्रकरण को पुनः जांच कर निर्णय पारित हेतु तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही पाई जाती है। जहां तक इस प्रकरण को सुनवाई का अधिकार अतिरिक्त कलेक्टर को न होकर सम्भागीय आयुक्त को होने का प्रश्न है, अतिरिक्त कलेक्टर का निर्णय सम्भागीय आयुक्त के निर्णय में मर्ज हो चुका है और सम्भागीय आयुक्त ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्णय की पुष्टि की है।*

9. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2012 RRD 431 में उनवान रतनी बनाम ममता निर्णय दिनांक 20.12.2011 का पैरा 11 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

11. *हस्तगत प्रकरण मीणा अर्थात् अनुसूचित जनजाति के मृतक खातेदार श्रीचन्द की विरासत का होने से सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक है कि क्या वह विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानो से*

प्रशासित होती है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2 निम्न प्रकार है–

> ***2. Application of Act****.—(1) This Act applies-*
>
> *(a) To any person, who is Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Virashaiva, a Lingayat or a follower of the Brahmi, Prathama of Arya samaj;*
>
> *(b) To any person who is Buddhist, Janina of Sikh by religion; and*
>
> *(c) To nay other person who is not a Muslim, Christian, pairs of Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu Law of by any custom or usage as part of that Law inspect of any of the matters dealt with herein if this Act had not been passed.*
>
> *(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), nothing contained in this Act shall apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of Article 366 of the*

Constitution unless the Central Government, by notification in the Official Gazette, otherwise directs.

इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान तब तक लागू नही होगे जब तक कि भारत सरकार द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करके उसे लागू नही कर दिया जाता है और यह विवाद रहित है कि आदिनांक तक ऐसी कोई अधिसूचना लागू नही की गयी है। पिता की सम्पत्ति में पुत्रियो को हक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा ही दिये गये है। अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नही होने से विरासत पुराने हिन्दू कानून से ही प्रशासित होगी जो कि उक्त अधिनियम, 1956 लागू नही होने से पूर्व प्रचलित था। पूर्व में प्रचलित हिन्दू कानून अथवा अनूसूचित जनजाति समुदाय में सदियो से चली आ रही प्रथा अनुसार पिता की सम्पत्ति में शादीशुदा पुत्रियों को कह नही दिया गया है और इस संबंध में न्यायिक दृटान्तों की एक लम्बी श्रंखला है।

(1) इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 1988 RRD 61 में 1966 आर0आर0डी0 71 का अनुसरण करते हुये अभिनिर्धारित सिद्धान्त निम्न प्रकार है–

Rajasthan Tenancy Act, Section 40 read with Section 2 (2) of Hindu Succession Act- Till issue of notification contemplated in Section 2 (2) of Hindu Succession Act, Scheduled Tribes wil, in the matter of succession, continue to be governed by old Hindu Law or their own customary law as the case may be.

(2) इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2002 RRD 31 का सारांश निम्न प्रकार है–

Rajasthan Tenancy Act, Section 88, 188- Hindu Succession Act, 1956, Section (2)- Appeal against order of RAA- Held some facts are admitted fact that property in dispute was ancestral, Mst. "R" was the wife of khatedar "S" who did not marry after the death of her husband and who had no son but three daughters- All parties are scheduled Tribe by caste – "S" died before coming into force of the Hindu Succession will take place according to the Old Hindu Law – Mutation No. 18 was rightly attested in the name of Mst. "R" and the daughter are not entitled to succession as per old succession law in case khatedars belonging to Scheduled Tribe/Caste- Order of RAA held legal and justified.

(3) इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2006 RRD 464 (HC) में गुलाब बनाम राजस्व मण्डल एवं अन्य के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी AIR 1976 SC 2595 में माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त अनुसरण करते हुये यही व्यवस्था दी गयी है कि

अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते हैं और अनुसूचित जनजाति समुदाय की शादीसुदा पुत्रियों का पिता की सम्पत्ति में कोई हक नही मिलता है।

(4) इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2006 RRD 577 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः–

"राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ (1966 RRD 71) के निर्णय से यह भली भॉति स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान मीना जाति के व्यक्तियों पर लागू नही होते हैं क्योकिं इन प्रावधानों को

मीणा जाति के व्यक्तियों पर लागू करने के संबंध में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नही की गई है।

(5) इसी प्रकार अन्त में 2007 (1) RRT 379 = RBJ (14) 2007 page 114 (Case of Keshanti (Smt.) & Ors. Vs. Ramdas) में दी गयी न्यायिक व्यवस्था पर चर्चा करना समुचित होगा। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण केशन्ती आदि के पिता बद्री मीणा के देहान्त पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर के समक्ष पटवारी द्वारा विरासत इन्तकाल मृतक की विधवा पत्नी श्रीमति पूनी, उसकी तीन पुत्रियों केशान्ती आदि और दत्तक पुत्र रामदास के नाम भर कर पेश किया जिसे ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय द्वारा मृतक की विधवा और दत्तक पुत्र रामदास के नाम स्वीकार किया। पुत्रिया केशन्ती आदि के नाम स्वीकार नही किया। पुत्रियों केशन्ती आदि द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड हुआ। तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान विधवा पुनी ने दत्तक पुत्र रामदास को गोद लिये जाने पर सहमति दी और तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर ने रामदास दत्तक पुत्र बद्री ने नाम स्वीकृत किया तथा सम्भागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर तहसीलदार द्वारा आदेश बहाल रखा गया। प्रकरण राजस्व मण्डल तक आया व राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय श्री हंसा नाम रतनलाल (2002 आर.आर.डी. पृष्ट 626) में दी गयी व्यवस्था पर चर्चा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि अनुसूचित जनजाति (मीणा जाति) के खातेदार की मृत्यु के बाद उसके लडके एवं उसकी विधवा को अधिकार प्राप्त होते है। पुत्रियों को अधिकार नही मिलते है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्वान्तो के आधार पर यह विधिक स्थिति निर्विवाद है कि अनुसूचित जनजाति के मृतक व्यक्ति की विरासत में पुत्रों व विधवा को तो अधिकार मिलते है किन्तु पुत्रियों को अधिकार नही मिलता है।

10. उपरोक्त विधिक विवेचन के आधार पर न्यायालय का सुविचारित मत यह है, कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी 2 लगायत 5 के पिता अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल वर्ग से है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान वर्तमान में लागू नही है। अतः तहसीलदार राजगढ़ द्वारा तस्दीक किया नामान्तरकरण संख्या 1975 दिनांक 29.01.2007 विधि विरूद्ध है जिसको पुनः विधिक प्रावधानानुसार तस्दीक किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

अपील अपीलान्ट विरूद्ध इन्तकाल संख्या 1975 निर्णय दिनांक 29.01.2007 वाके ग्राम कलेशान तहसील राजगढ स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो इन्तकाल संख्या 1975 निर्णय दिनांक 29.01.2007 की कार्यवाही निरस्त की जाकर नियमानुसार पुनः नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार राजगढ को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
(अलवर)

सत्यमेव जयते